Part II-Abolition of Domicile Certificate.

Immediate.

Government of Bihar, Appointment Department

Memo No. III / RI-2062/57A-6006

. **To**

Patna, the 10th Vaisakha, 1881 (s), 30th April, 1969.

All Departments of Government.

Subject :- The Public Employment (Requirement as to Residence) Act, 1957.

The undersigned is directed to forward a copy of the Public Employment (Requirement as to Residence) Act, 1957, as published in the Bihar Gazette dated the 8th January, 1958, and to say that the Act has been brought into force with effect from 21st March, 1959. There are, at present, various Rules and Regulations and Executive Instructions which confine employment or appointment to an office under the State Government or any other authority to persons who are residents of the State or domiciled therein, or give preference to such people. With the coming into force of the Act, all such Rules, Regulations and Executive Instructions ceased to have effect in accordance with Section 2 of the Act. There can be no discrimination now on grounds of place of birth or residence of any citizen of the Union. It is, therefore, requested that action may be taken immediately to amend the existing provisions and other ancillary regulations relating to domicile qualifications so as to bring them in conformity with the changed position as from the 21st March, 1959.

2. All Heads of Departments are being informed direct.

3. The receipt of this memo may be acknowledged.

By order of the Governor of Bihar,

Sd/-k. k. Srivastava,

28-4 59

Deputy Secretary to Government

Memo No. III/R1-2062/5/A-6006. Patna, the 10th Vaisakha, 1881 (S) 30th April, 1959. Copy forwarded to Secretary, Bihar Public Service Commission

Secretary, Bihar Legislative Assembly Secretary, Bihar Legislative Council

All Heads of Departments

for information and necessary action.

Sb/-k. k. Srivastava, 28-4-59 Deputy Secretary to Government.

The Public Employment (Requirement as to Residence) Act, 1957

(44 OF 1957)

AN ACT.

to make in pursuance of clause (3) of article 16 of the Constitution special provisions for requirement as to residence in regard to certain classes of public employment in certain areas and to repeal existing laws prescribing any such requirement. Be it enacted by Parliament in the Eighth year of the Republic of India as follows :----

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Public Employment (Requirement as to Residence) Act, 1957.

2, It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazett, appoint.

2. Repeal of existing laws prescribing requirements as to residence.—Upon the commencement of this Act, any law than in force in any State or Union territory by virtue of clause (b) of article 35 of the Constitution prescribing, in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the Government of, or any local or other authority within, that State of Union territory, any requirement as to residence therein prior to such employment or appointment shall cease to have effect and is hereby repealed.

3. Power to make rules in respect of certain classes of public employment in certain areas — (1) The Central-Government may, by notification in the Official Gazette. make rules prescribing, in regard to appointment to—

(a) any subordinate service or post under the State Government of Andhra Pradesh, or

- (b) any subordinate service or post under the control of the Administrator of Himachal Pradesh, Manipur or Tripura, or
- (c) Any service or post under a local authority (other than a cantonment board) within the Telangana area of Andhra Pradesh or within the Union territory of Himachal Pradesh, Manipur or Tripura,

any requirement as to residence within the Telangana area or the said Union territory, as the case may be, prior to such appointment.

(2) In this section,---

(a) "a subordinate service or post" means any service or post appointments to which are not notified in the Official Gazette but includes any service of tehsildars;

(b) "Telangans area comprises all the territories specified in sub-section (!) of section 3 of the State Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956).

4. Parliamentary scrutiny of rules.—All rules made under section 3 shall, as soon as may be after they are made, be laid for not less than thirty days before each House of Parliament and shall be subject to such modification as Parliament may make during the session in which they are so laid. or in the session immediately following.

5. Duration of section 3 and rules.—Section 3 and all rules made thereunder shall cease to have effect on the expiration of five years from the commencement of this Act, but such cesser shall not affect the validity of any appointment previously made in pursuance of the said rules.

No. III/R1-406/61A 10265 Gevernment of Bihar, Appointment Department

From

To

Shri B. K. Dubey, Deputy Secretary to Government

The Deputy Commissioner,

Hazaribagh

Patna, the 7 Sravana, 1883 (S) 29 July, 1961.

Subject :-- Rules regarding grant of domicile certificate, Sir,

I am directed to refer to your letter no. 4104 G dated the 22nd June, 1961 on the above subject and to say that previously rules and executive instructions confined employment or appointment to an office under the State Government, or any other authority, to persons who were resident of the State or domiciled therein. This made it necessary for persons, who were not permanent residents of the state, to obtain domiciled certificates with a view to seek employment under the State Government, With the coming into force of the Public Employment (Requirement as to Residence) Act, 1957 with effect from the 21st March, 1959 (copy enclosed for ready reference) all such rules and executive instructions have ceased to be effective in accordance with section 2 of the Act and thus now for purposes of appointment in Government services under the State there is no discrimination on grounds of place of birth or residence. In view of this the question of grant of domicile certificates for such purpose does not arise.

It is true that for purposes of admission into educational institutions restriction of residence has been imposed. This restriction has been imposed not with a view to discriminate against people of states but with a view to affording reasonable facilities to the children of this State for admission into technical institutions. This has been eonsidered necessary on account of the dearth of institutions imparting technical education in the State. In the circumstances, there may be cases where persons might apply for grant of residence certificates for purposes of admission into the educational institutions. This 'Residence certificate' is different from a 'Domicile Certificate', Whenever a residence certificate is applied for, there should be no difficulty in granting such a certificate after verifying whether the applicant has actually been residing in the State for a specified period.

> Yours faithfully. Deputy Secretary to Government.

No. 4104 G

Sri S. K, Chakravartee,

Deputy Commissioner, Hazaribagh

The Secretary to Government,

Political Department, Patpa.

Hazaribagh, the 22nd June, 1961

Suject :- Rules regarding grant of domicile certificate.

Sir,

From

To

I am ro state that instructions and rules prescribed in the Chief Secretary's memo no. 5360A dated the 3rd July, 1947, for grant of domicile certificate require that the applicant must show that he was born in the State or has resided in the State continuously for 10 years. The corresponding rules 8, 9 and 10 of the Board's Misc. Rules (1958 Edition) would seem to prescribe harder conditions than those contained in the Chief Secretary's memo. Although the rules contained in the Chief Secretary's memo are invariably followed as a matter of practice, doubts arise as to whether the tests prescribed

C. SPECE

in the Chief Secretary's memo or in the Board's Misc. Rules should be applied in cases coming up for the grant of domicile certificates.

Again, it would appear that the form of applications for grant of domicile certificate, prescribed in the Chief Secretary's memo, does not unlike the form prescribed under the Boards Rule provide a space for mentioning the purpose for which a domicile certifiate is required.

I shall be grateful if clear instructions are issued in this regard.

In the meanwhile I would follow the prevailing practice of granting domicile certificates in the light of the rules prescribed in the Chief Secretary's memo mentioned above.

Yours faithfully, Sd./— Illegible, for Deputy Commissioner, Hazaribagh

ज्ञाप संख्या-३ / एम० ४०३८/६३ नि० -७३१२

बिहार सरकार,

नियुक्ति विभाग ।

सेवा मे,

सभी सरकारी विभाग/सभी विभागाव्यक्ष

सचिव लोक सेवा आयोग

सचित, विहार विधान सभा

सचिव, बिहार विधान परिषद

सभी जिला पदाधिकारी / सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी ।

षटना-दिनांक ९ ज्येष्ठ, १८८५ (स) ३० मई, १९६६

विषय :--- सरकारी सेवाओं में नियुक्ति की पालता के लिए राष्ट्रीयता और अधिवास पर आधारित योग्थता सम्बन्धी नीति ।

महोदय.

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि भारत सरकार ने समय-समय पर अधिसूचना निकाल कर यह निर्धारित किया है कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति की पालवा के लिए राष्ट्रीयता और अधिवास पर आधारित ये प्यांग के बारे में उसकी क्या नीति रहेगी। इन अनुदेशों का सारांश निम्न कडिकाओं में दिया जाता है। राज्य के सभी नियुक्ति-प्राधिकारियों और भरती-एचेन्सियों से अनुरोध है कि राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में पदों पर नियुक्ति या उबके लिए भूनाब करते समय अनुदेशों का पालन किया जाय।

२ -- राज्य सरकार के बधीन किसी कार्यालय में या पद पर नियुत्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाता है। सरकारी सेवाओं में और पदों पर गैर-नागरिकों की नियुत्ति में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। फिर भी, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से और सामान्य नीति तथा औदित्य के बाधार पर भारत सरकार ने निर्णय किया है कि भैद-नाबरिकों की ऐसी नियुक्ति बसाधारण परिस्थितियों में और बस्थायी या ठेके के आधार पर तथा हर मामले में सरकार का पूर्व बनुमोदन लेकर ही की जाए, इस प्रत्याक्षा कदापिन की आए कि अनुमोदन पीछे से लिया जायगा। ३--- यह बांछनीय समझा गया है कि जिन कुछेक निकटवर्त्ती राज्य-क्षेत्रों का भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध और सम्पर्क है उनके नागरिकों को सरकारी सेवा में स्थायी नियुक्ति के लिए बिल्कुल अपात न होने दिया जाय, इसलिए पूर्ववर्त्ती कंडिका में दिए सामाग्य नियम के अपवाद स्वरूप यह निर्णय किया गया है कि निम्नलिखित कोटि के गैर-नागरिकों को तदर्थ पात्नता-प्रमाणपत्न देकर सरकारी सेवाओं में और पदों पर नियुक्ति का पात्न समझा जायेगा :---

(i) नेपाल और भूटान की प्रजा,

- (ii) ऐसे व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बस जाने के लिए पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका और पूर्व अफिका देश केनिया, उगांडा तथा संयुक्त तनजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टेगानिका और जंजीवार) से आए हों या आगे आ सकते हों और संविधान के श्रधीन भारत के नागरिक न बने हों।
- (lii) ऐसे तिब्बती, जो भारत में स्थायी रूप से बस जाने के लिए 9 जनवरी, 9९६२ से पहले भारत आए हों।

पानता—प्रमाणपत सम्बद व्यक्तियों का चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापित कर लेने के बाद हरेक को औचित्य के अनुसार दिया जायगा। ऐसे उम्मीदवार को लौक सेवा आयोग या अन्य भरती प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार में भाग लेने दिया जायगा और उसे अस्थायी तौर पर नियुक्ते भी किया जा सकेगा वश्वर्सों कि उसे सरकार आवश्यक प्रमाण-पत्न दे।

यदि वह कोटि (ii) का उम्मीदवार हो तो उसे पाक्षता-प्रमाण पत्न एक वर्ष के लिये दिया जायगा। इसके बाद उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेने पर ही सेवा में रखा जायगा कोटि (iii) का जो उम्मीदवार बिहार सरकार के अधीन नियोजन चाहता हो, उसकी नियुक्ति करने के पहले उसके चरित्न और पूर्ववृत की जाँच पूरी कर लेनी चाहिए ।

४ — १ दिसम्बर १९१० को हस्ताक्षरित भारत और सिविकम सन्धि में व्यवस्था है कि भारत में नियोजन के बारे में सिविकम की प्रजा को भारतीय नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। इसलिए यह भी निश्चय किंया गया है कि सिविकम की प्रजा योग्यता-प्रमाण पत्न बिना ही सरकारी सेवाओं में और पदों पर नियुक्ति का पात्न होबी, बन्नर्त्ते कि नियुक्ति के किये पूर्व वृत्त का सामान्य सत्यापन कर लिया जाय।

४ — उपयुँक्त चरित्न और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए राज्य सरकार ने निणय किया है कि उम्भीदवार द्वारा यथावत भरे गए अभिप्रमाणन फारम के साथ, राजनीति (विशेष) विभाग को निर्देश किया जाय। विहित अभिप्रमाणन-फारम की प्रति संलग्न है। इस सम्बन्ध में नियुक्ति-प्राधिकारीको अपने प्रशासी दिभाग की मार्फत राजनीति (विशेष) विभाग को निर्देश करना चाहिए।

> बिहार राज्यपाल **के आदेश** से (कृष्ण **कु**मार श्रीवास्तव) सरकार के सचिवा

अभिप्रमाणन फारम

(१) पूरा नाम और उप-नाम, यदि कोई हो (साफ अक्षरों में)		कुल नाग	T	नाम •
(क्रुपया बताएं कि वापने कभी अपने नाम या कुल नाम में कुछ जोड़ा हो या उसका कोई अंश हटा दिया है)।				•
२) वर्त्तमान पूरा पता (अर्थात्, गहर, पुलिस-खाना और जिला/प्रदेश या मकान-संख्या / गली (लेन) / पथ (स्ट्रीट) और सड़क (रोड) तथा जिला मुख्यालय का नाम ।			•	
३)(क) भारत में चले आने के पूर्व अस्तिम घर-पताः				S
(ख) भारत में प्रवेश की तारीख और स्थान ।		· · ·	е —	,
(ग) फौरनर्स ऐक्ट के अधीन निबंधन की तारीख और स्थान निबंधन प्रमाणपत्न- संख्या।	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
(घ) घमं और सम्प्रदाय ।		•		
४) यहां उन स्थानों का विवरण दें, व	जहां भारत आने के बा	द एक वर्ष से अधिन	दिनों तक आप रहे	 हों ।
		तक।	पुलिस-थाना और	पूरा पता (अर्थात शहर, जिला/प्रदेश, था मकान- /पथ स्ट्रीट) और सड़क
४)(क) पिता का पूरा नाम और उपनाम यदि कोई हो ।	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(क)	
(ख)वर्तमान डाक-पता (यदि मर गये हों तो उनका अस्तिम पता दें।)			(ख)	
(ग) स्थायी घर-पता			(ग)	4
(थ) पेता		1	(ग) (घ)	
(ड) पदनाम और पदीय पता,			(Ŧ) (Ŧ)	

		113			
	.			• •	
(६) (i) निम्न की राष्ट्रीयता	बताएँ :	. ,	_ /		
. (क) पिता			. (क)	н Пология Талан	•
(ख) माता			(ख)		
(ग) पति			(ग)	· · ·	
(घ) पत्नी		-	(घ)		
	· · · · ·	•			
• •		•	•	- · · · · ·	
(ii) निम्न का जन्म स्थान ब	ताएं :		• •		
(क) पति	•		(क)		•
(ख) पत्नी			(ख)	•	
(७)(क) जन्म की ठीक तारीख	r _		(क)		,
(ख) वर्त्तमान उम्र		•	. (ৰ)		
(द`(क) जन्म-स्थान, जिला औ राज्य/क्षेत्र जहां जन्म-स्थान	र पड्ता हो।	. ·	(क) ⊷		•
(६ (क) जन्म-स्थान, 1नला आ राज्य क्षित्र जहां जन्म-स्थान (९) शैक्षिक-योग्यता का विवरण	र पड़ता हो।	किस स्कूल और कालेज	·	पाई है ।	•
राज्य क्षित्न जहां जन्म-स्थान	र पड़ता हो।	की छोड़ने की	न में किस वर्ष शिक्षा ने	पाई है । कोन-कोन परीक्षाएँ पास की है ।	
राज्य क्षेत्र जहां जन्म-स्थान (९) शैक्षिक-योग्यता का विवरण	ग् पड़ता हो। , जिसमें बढाएँ कि कह	की छोड़ने की	न में किस वर्ष शिक्षा ने	कौन-कौन परीक्षाएँ पास	
राज्य क्षेत्र जहां जन्म-स्थान (९) शैक्षिक-योग्यता का विवरण	ग् पड़ता हो। , जिसमें बढाएँ कि कह	की छोड़ने की	न में किस वर्ष शिक्षा ने	कौन-कौन परीक्षाएँ पास	
राज्य/क्षेत्र जहां जन्म-स्थान (९) ग्रैक्षिक-योग्यता का विवरण स्फूल/कॉलेज का-नाम	ग् पड़सा हो। , जिसमें बताएँ कि कह प्रवेश तार्र	की छोड़ने क ोख तारीख	न में किस वर्ष शिक्षा ने	कौन-कौन परीक्षाएँ पास	
राज्य/क्षेत्र जहां जन्म-स्थान (९) ग्रैक्षिक-योग्यता का विवरण स्फूल/कॉलेज का-नाम	ग् पड़सा हो। , जिसमें बताएँ कि कह प्रवेश तार्र	की छोड़ने क ोख तारीख	न में किस वर्ष शिक्षा ने	कौन-कौन परीक्षाएँ पास	
राज्य क्षेत्र जहां जन्म-स्थान (९) ग्रैक्षिक-योग्यता का विवरण स्कूल/कलिज का नाम श्रु०) यदि आप कभी नियोजित ह धारित पद का नाम	ग् पड़सा हो। , जिसमें बताएँ कि कह प्रवेश तार्र	की छोड़ने कं तारीख गदें।	न में किस वर्ष शिक्षा ने	कौन-कौन परीक्षाएँ पास की है।	
राज्य/क्षेत्र जहां जन्म-स्थान (९) ग्रैक्षिक-योग्यता का विवरण स्कूल/कौलेज का नाम स्कूल/कौलेज का नाम 9०) यदि आप कभी नियोजित हु धारित पद का नाम	ग् पड़सा हो। , जिसमें बताएँ कि कह प्रवेश तार्र	की छोड़ने क ोख तारीख गर्दे। अवधि	न में किस वर्ष शिक्षा ने	कौन-कौन परीक्षाएँ पास की है।	

(११) क्या वाप कमी किसी वपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा अवरुद्ध/गिरपतार/नजरबन्द/दोषसिद्ध किये गये हैं ? यदि * हों तो, गिरफ्तारी/नजरबन्दा/दोष सिद्धि और दण्डादेश आदि का पूरा विवरण दें]

	1		
(१२) खपने इलाके के दो जिम्मेवार व्यक्तियों या दो विनिर्धारकों	· (٩)	*	
के नाम दें जो आपको जानते हों।	(२)		•

मैं प्रमाणित करता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वात है, उपयुंक्त सूचना सही और पूर्ण है। मैं उन परिस्कितियों से अवगत नहीं हूं विनके चलते भारत सरकार के अधीन नियोजन के लिए मेरी योग्यता का स्त्रास होता है।

> हस्ताक्षर, पद या-हैसियत और पता

स्थान

तारी**व**

(निम्न प्रमाण-पत् पर लेख्य प्रमाणक (नोटरी पब्लिक) जस्टिस आफ पीस, दंडाधिकारी या विधान-सभा सदस्य, संसद-सदस्य या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित अन्य प्राधिकारियों का हस्ताक्षर रहना चाहिए)।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री / श्रीमती

वर्षं

জী শ্বী

यान

तारांच

के / की पुन्न / पुन्नी है, को गत

महीनों से जानता हूं और जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास

है उनका दिया विवरणी सही है।'

हस्ताक्षर,

पदनाम या हैसियत

वौर पतान